



(स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)
कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।
(जिला कार्यान्वयन इकाई - आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना)

सं०सं० - CS/ABMMJAY/04/2023 (Part -IV) - 2534

दिनांक 28.06.2025

आदेश

कार्यालय के द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या - PR 354151 Health Med Edu and Family Welfare (25-26)D के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों को MOU के तहत आमंत्रित किया जाता है। जो निम्न है :-

क्र.सं	पद का नाम	नाम	पदस्थापित स्थान का नाम	अभियुक्ति
1	Radiologist	Dr Amit Kumar	सदर अस्पताल, राँची	
2	Radiologist	Dr Ambuj	सदर अस्पताल, राँची	
3	Anesthetist	Dr Anchal Raj	सदर अस्पताल, राँची	
4	Anesthetist	Dr Saurav Sarkar	सदर अस्पताल, राँची	
5	Hepatologist	Dr Praveen Narsaria	सदर अस्पताल, राँची	
6	Nuero Physician	Dr Sanjiv Kumar Sharma	सदर अस्पताल, राँची	
7	Nuero Surgeon	Dr Vikash Kumar	सदर अस्पताल, राँची	
8	Nuero Surgeon	Dr Vivek Raj	सदर अस्पताल, राँची	
9	Plastic Surgeon	Dr Tanmay Prasad	सदर अस्पताल, राँची	
10	Plastic Surgeon	Dr Vivek Goswami	सदर अस्पताल, राँची	
11	Orthopedician	Dr Rahul Saket	सदर अस्पताल, राँची	
12	Orthopedician	Dr Ramkrishna Verma	सदर अस्पताल, राँची	
13	Orthopedician	Dr Abhishek Pandey	सदर अस्पताल, राँची	
14	Orthopedician	Dr Animesh Sinha	सदर अस्पताल, राँची	
15	General Surgeon	Dr Himanshu Kr Choudhary	सदर अस्पताल, राँची	
16	General Surgeon	Dr Baidyanath Sadhu	सदर अस्पताल, राँची	
17	General Surgeon	Dr Naman Maheshwari	सदर अस्पताल, राँची	
18	Pulmonologist	Dr Souvik Sarkar	सदर अस्पताल, राँची	
19	Maxillofacial Surgeon	Dr Richa Sharma	सदर अस्पताल, राँची	
20	Maxillofacial Surgeon	Dr Udeep Lal	सदर अस्पताल, राँची	
21	GDMO	Dr Aditya Narayan Singh	सदर अस्पताल, राँची	
22	GDMO	Dr Pankaj Kumar Gupta	सदर अस्पताल, राँची	

सदर हॉस्पिटल परिसर, पुरलिया रोड, राँची- 834001

E-mail : cs-officeranchi@yahoo.com
cs-ranchi@jharkhandmail.gov.in

दो गज दूरी, मास्क है जरूरी-जबतक दवाई नहीं, तबतक ढिलाई नहीं।

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से अनुबंध आधारित Counsaltant के तहत होगी तथा किसी तरह का नियमितीकरण सम्बंधित दावा भविष्य में अनुमान्य नहीं होगा।
2. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर एक माह के नोटिस पर आपका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध समाप्त करने पर निर्णय लेने हेतु समिति स्वतंत्र होगी।
3. फोजदारी मुकदमा में दण्डित होने पर अथवा सफल अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सूचना अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर इनकी संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं भुगतये मानदेय वसूलनिय होंगे।
4. यह नियुक्ति अनुबंध पर Counsaltant के तहत है, जो एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। अग्रेतर संविदा विस्तारण उनके कार्य मूल्यांकन पर किया जायेगा।
5. पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. सभी नवनियुक्त कर्मी एकरारनामा के लिए 100.00 रु० का स्टाम्प पेपर सिविल सर्जन कार्यालय राँची में जमा करेंगे।
7. भुगतान पदस्थापित स्थान पर योगदान स्वीकृत तिथि से देय होगा एवं भुगतान MOU में निहित शर्तों के आलोक में किया जायगा।
8. सभी नवनियुक्त कर्मी अपना योगदान दिनांक 10.07.2025 तक सिविल सर्जन कार्यालय में देंगे तत्पश्चात योगदान मान्य नहीं होगा।
9. विज्ञापन प्रकाशन के समय प्रकाशित शर्तें मान्य रहेंगे।
10. किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी का निराकरण नियमानुसार किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0 / -

असैनिक शल्य चिकित्सक

सह

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

ज्ञापांक - CS/ABMMJAY/04 /2023 (Part -IV) - 2534

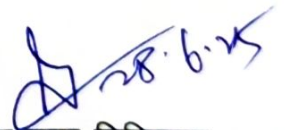
दिनांक...28-06-2025

प्रतिलिपि- उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उपाधीक्षक, सदर अस्पताल राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डी पी सी आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, राँची / विपत्र लिपिक, सदर अस्पताल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



असैनिक शल्य चिकित्सक

सह

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।